

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2080) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/891

दिनांक: 20.09.23

—: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश ::—

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति पत्रांक: एफ.8(06)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2023/2384-92 दिनांक 01.08.2023 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 22/2023-24 के अनुक्रम मे सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नाथद्वारा, तहसील व ब्लॉक रेलमगरा के 13 कार्य हेतु राशि रु. 25.14 लाख, तहसील नाथद्वारा ब्लॉक खमनोर के 09 कार्य हेतु राशि रु. 35.00 लाख कुल 22 सड़क कार्यों हेतु राशि रु. 60.14 लाख (अक्षरे रुपये साठ लाख चौदह हजार मात्र) की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक मरम्मत करवाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था/विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे।

कार्यकारी विभाग— अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नाथद्वारा

(तहसील व ब्लॉक रेलमगरा)

क्र. सं.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(SDRF) मापदण्डों अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या	तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	पीर बावजी से छोगा जी का खेडा कि 0/0 से 3/00 (वीआर-837)	1.80	EE/TS/61/2023-24 Dt.10.08.2023	1.80
2	ओडा बनेडिया रोड किमी 0/0 से 5/0 (वीआर-167)	3.00	EE/TS/62/2023-24 Dt.10.08.2023	3.00
3	रेलमगरा से अमरपुरा किमी 0/0 से 5/0 (वीआर-303)	3.00	EE/TS/63/2023-24 Dt.10.08.2023	3.00
4	सम्पर्क सड़क सकरावास किमी 0/0 से 1/0 (वीआर-74)	0.60	EE/TS/64/2023-24 Dt.10.08.2023	0.60
5	सम्पर्क सड़क ओडा किमी 0/0 से 1/0 (वीआर-108)	0.60	EE/TS/65/2023-24 Dt.10.08.2023	0.60
6	बनेडिया खटुकडा चराना बाडी तक किमी 4/0 से 9/700 (वीआर-176)	3.42	EE/TS/66/2023-24 Dt.10.08.2023	3.42

7	रेलमगरा से भराई (वीआर-211) किमी 0/0 से 4/000	2.40	EE/TS/67/2023-24 Dt.10.08.2023	2.40
8	खटुकडा से वाला का कुंआ (वीआर-492) किमी 0/0 से 3/600	2.16	EE/TS/68/2023-24 Dt.10.08.2023	2.16
9	भराई से सादडी (वीआर-771) किमी 0/0 से 3/00	1.80	EE/TS/69/2023-24 Dt.10.08.2023	1.80
10	सम्पर्क सडक चराना (वीआर-52) किमी 0/0 से 2/800	1.68	EE/TS/70/2023-24 Dt.10.08.2023	1.68
11	मेनिया से फूंकिया (वीआर-279) किमी 0/0 से 3/00	1.80	EE/TS/71/2023-24 Dt.10.08.2023	1.80
12	बनेडिया से ढिल्ली का खेडा (वीआर-491) किमी 0/0 से 2/800	1.68	EE/TS/72/2023-24 Dt.10.08.2023	1.68
13	सम्पर्क सडक बामनिया कला किमी 0/0 से 2/00	1.20	EE/TS/73/2023-24 Dt.10.08.2023	1.20
	योग ब्लॉक रेलमगरा (खण्ड नाथद्वारा)	25.14		25.14

(अक्षरे रूपये पच्चीस लाख चौदह हजार मात्र)

(तहसील नाथद्वारा व ब्लॉक खमनोर)

क्र. स.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(SDRF) मापदण्डों अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या	तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	मावली -मौगाना से नाथद्वारा रोड (एस एच 49) किमी 0/0 से 15/500	15.50	EE/TS/74/2023-24 Dt.10.08.2023	15.50
2	सम्पर्क सडक नमाण्डा किमी 0/0 से 3/00	1.80	EE/TS/75/2023-24 Dt.10.08.2023	1.80



3	नमाणा नैनपुरिया से नाकली बिजनोल रोड किमी 0/0 से 5/0	3.00	EE/TS/76/2023-24 Dt.10.08.2023	3.00
4	बडारडा बामनहेडा से खेडाना किमी 0/0 से 4/00	2.40	EE/TS/77/2023-24 Dt.10.08.2023	2.40
5	कुंठवा से उठारडा किमी 0/0 से 7/200	4.32	EE/TS/78/2023-24 Dt.10.08.2023	4.32
6	समपर्क सड़क खोखा ढाणी किमी 0/0 से 2/400	1.44	EE/TS/79/2023-24 Dt.10.08.2023	1.44
7	एन एच 8 किमी 225 से शगुन होटल वाया गणेश टेकरी किमी 0/0 से 2/200	1.32	EE/TS/80/2023-24 Dt.10.08.2023	1.32
8	नया कुंआ पीपरडा से सूरतपुरा रोड किमी 0/0 से 1/700	1.02	EE/TS/81/2023-24 Dt.10.08.2023	1.02
9	मावली से घोडाघाटी रोड (वीआर-14) किमी 0/0 से 7/00	4.20	EE/TS/82/2023-24 Dt.10.08.2023	4.20
	योग ब्लॉक खमनोर	35.00		35.00
	कुल योग (ब्लॉक रेलमगरा व खमनोर)	60.14		60.14

(अक्षरे रुपये साठ लाख चौदह हजार रुपये मात्र)

नोट – कार्यकारी विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देशों/शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

- विभाग द्वारा प्रति किमी. की दर से राशि का निर्धारण एस0डी0आर0एफ0 नॉर्म्स अनुसार किया गया है, अतः सा0नि0 विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत पर नहीं करे।
- प्रस्ताव में उन्ही सड़कों की मरम्मत करवायी जावें जो पेचवर्क द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
- वे सड़कें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी कीमत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
- कार्यकारी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों की अविलम्ब निविदा कर कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे। बिल में विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।
- कार्यकारी संस्था, उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे एवं आपदा प्रबन्धन सहायता एवं ना.सु विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार कार्य किया जावे।
- क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है तो उक्त सड़कों की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।
- उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एस.डी.आर.एफ. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कार्य एवं व्यय सरकारी रीति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
12. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न बजट मद से किया जायेगा—
 2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 02 – बाढ़, चक्रवात आदि
 106 – खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
 (08) – (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
 [01] – [सड़कों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]
 21- अनुसूचक एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत व राज्य निधि 25 प्रतिशत)


 जिला कलक्टर
 (आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)
 राजसमन्द

राजसमन्दक्रमांक: प.14(2080) बाढ़/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/892-906

दिनांक 20.09.23

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
02. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।
03. जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द
04. उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा/रेलमगरा
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त राजसमन्द
06. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड नाथद्वारा
07. तहसीलदार, नाथद्वारा/रेलमगरा/खमनोर
08. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रेलमगरा/खमनोर
09. सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग, उपखण्ड नाथद्वारा/रेलमगरा/खमनोर
10. सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, नाथद्वारा/रेलमगरा/खमनोर
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द


 जिला कलक्टर
 (आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)
 राजसमन्द